संख्या- 112 /2017 / 1902 /चार-2017 -43 (वि0)/ 2017

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1724/सं0नि0-6(119)/2016-17 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 6017.57 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कार्य की लागत रू0 4950.19 लाख मूल्यांकित की गयी है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कराये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड मात्र) के सापेक्ष रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबनधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन विभाग से भी अनापत्ति प्राप्त किया जायेगा।

(4) मिट्टी भराई मद में रू0 107.10 लाख की धनराशि प्रस्तावित थी , परन्तु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुत न होने के कारण इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 20.00 लाख की धनराशि मिट्टी हेतु अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की जाय। तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर सहमति होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य , व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। मिट्टी भराई पर होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बडी हुई मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बडी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 12 एम0एम0 थिक , फ्रेमलेस टफेण्ड ग्लास डोर शटर, साउण्ड एकास्टिक डोर, मैटेलिक फाल्स सीलिंग, वुड ब्लाक फ्लोरिंग, सेंथेटिक कारपेट, एकास्टिक फाल्स सीलिंग एवं वाल पैनलिंग , स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, वुडन फैब्रीकेशन एवं Proscenium साउण्ड एवं लाइट से सम्बन्धित आदि कार्य उच्च विशिष्टियों की प्रकृति के है। इन कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(6) प्रायोजना में प्रस्तावित कतिपय यथा- सब स्टेशन उपकरण, आडीटोरियम चेयर, आडियों सिस्टम, स्टेज लाइटिंग एवं फर्नीशिंग, आडीटोरियम प्रोजेक्शन सिस्टम, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि की लागत एकमुश्त/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है, इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। निदेशक, संस्कृति द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) प्रायोजना में आडीटोरियम चेयर, आडियों सिस्टम, स्टेज लाइटिंग एवं फर्नीशिंग, आडीटोरियम प्रोजेक्शन सिस्टम की आवश्यकता , औचित्य , स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। समिति द्वारा प्रायोजना में इन कार्यमदों हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत यथा- आडीटोरियम चेयर हेतु रू0 106.06 लाख, आडीटोरियम में आडियों सिस्टम हेतु रू0 75.11 लाख, स्टेज लाइटिंग एवं फर्नीशिंग हेतु रू0 66.55 लाख एवं आडीटोरियम प्रोजेक्शन सिस्टम हेतु रू0 40.26 लाख की सीमा के अन्तर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) प्रायोजना के निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्धता को सुनिश्चित किये जाने हेतु किसी प्रतिष्ठित थर्ड पार्टी पैनल से Concurrent evaluation कराया जाय। इस पर आने वाले व्यय की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। इस हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) प्रायोजना के कार्यो की मदों में दर विश्लेषण में लिये गये वैट/सेल्स टैक्स की गणना से घटाया जायेगा तथा अन्त में नियमानुसार जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि देय होगी।

(10) प्रायोजना हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पर सिंचाई विभाग का एक गेस्ट हाउस पूर्व से निर्मित है, जो जर्जर अवस्था में है। इस गेस्ट हाउस को तोडकर प्रायोजना का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। अत: प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही पूर्व निर्मित गेस्ट हाउस को तोडकर प्रस्तावित निर्माण कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(11) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन /ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विवरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(14) ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक - 4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -36-गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-683 /दस-2017 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनीता सी0 मेश्राम,
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 112 /2017/ 1902 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 4/3/10/2017-सी0एक्स (1) दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के क्रम में।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लखनऊ ।
4- अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर इकाई-1, गोरखपुर।
5- निदेशक, (नोडल अधिकारी), उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।